IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भूमि–अनुदान : एक विश्लेषण

अंजनी कुमार सिंह
शोधार्थी (प्राचीन इतिहास)
नेहरू ग्राम भारतीय मानित
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

भूमि–अनुदान में सामान्यतया अधिकार पत्र (चार्टर) का जिन तत्वों से सरोकार होता था–वे दाता, दानग्राही, दान की गयी भूमि, अधिकारी वर्ग, राज वित्तीय कर, अनुदान का अवसर और अनुदान का उद्देश्य। अन्तिम भाग में अधिकांश अनुदानों में विरोधियों को 'शाप' दिये जाते हैं और अनेक प्रबन्ध–कर्ता (वसीयत को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी) और कातिब के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुदान पत्रों में दान देने वाले के पॉच, छह पीढ़ियों तक उसकी वंश परम्परा का विवरण दिया जाता था। अनुदान में उसकी विजयों का विवरण रहता था। लेकिन उसकी पराजय का उल्लेख नहीं मिलता है। भूमिदान पत्रों में दानग्राहियों के बारे में विस्तृत जानकारी का उल्लेख मिलता है। जो कि अधिकांशतः ब्राह्मण होते थे। भूमिदानपत्रों में उन अधिकारियों की सूची मिलती है जिन्हें भूमिदान की सूचना दी जाती थी। उनके नाम और पदनाम का भी उल्लेख किया जाता था। भूमि–अनुदान पत्रों में इस बात का भी उल्लेख किया जाता था कि भूमि या ग्राम का अनुदान किस अवसर पर दिया जाता था।

भूमिदान के अधिकार पत्रों में अनुदान के आशय और प्रयोजन का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि दाता स्वयं अपने तथा अपने पूर्वजों तथा परिवारिक सदस्यों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए भूमि का अनुदान करता था। धर्म के काम एवं वृद्धि और पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बार–बार अनुदान के मूल अभिप्राय के रूप में पेश किया गया है किन्तु भूमि या गाँव इसलिए दिये जाते थे, ताकि उन्हें पाने वाले कुछ धार्मिक कृत्य पूरे कर सके तथा अग्रहार नाम से विख्यात धार्मिक शैक्षिक संस्थायें चला सकें।

मन्दिरों, मठों, बौद्ध विहारों, तथा जैन वसदिसों, को अनुदान इसलिए दिये जाते थे कि वे धार्मिक, शैक्षिक कार्य करके तथा दीन दुखियों की सहयता कर सके।

अब प्रश्न उठता है कि भूमिदान जिसको दिया जा सकता है? कौटिल्य[1] ने उल्लेख किया है राजा निम्नलिखित व्यक्तियों को भूमिदान में दे सकता है।

1. ब्राह्मणों को इस शर्त के साथ कि यदि वे दान–पत्र की शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो राजा दी हुई भूमि वापस ले सकेगा।

2. राज्य के उन अधिकारियों को जा दी हुई भूमि की आय को दान कार्यों में व्यय करें।

3. रानियों और राजकुमारों को उपहार के रूप में।

4. अधिकारियों को वेतन के बदले जब तक वे सेवा में रहे उसका उपभोग करने के लिए।

5. उन व्यक्तियों को जो सेना की टुकड़ियां देने का बचन दे महाभारत के अनेक प्रसंगों में भूमिदान की प्रशंसा का उल्लेख प्राप्त होता है। नासिक गुफा[2] के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक बौद्ध उपासक धर्मनन्दिन ने कुछ भिक्षुओं के वस्त्रों के लिए जो नासिक की गुफाओं में रहते थे, अपना खेत दान में दिया था। कार्ले गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसवदात ने 16 गॉव, देवताओं, ब्राह्मणों और तपस्वियों को दान में दिया था। इस उल्लेख से यह पता चलता है कि इन गॉवों का राजस्व देवताओं ब्राह्मणों और तपस्वियों पर खर्च किया जाता था। लेकिन इससे वे इन गॉवों कें स्वामी नही हो गये।

वाशिष्ठी पुत्र पुलमावि के दान–पत्र[3] में तीन विशिष्ट तथ्य परिलक्षित होते हैं।

1. वह गॉव गुफा में रहने वाल भिक्षुओं को दान में दिया। जिससे कि उस गॉव का लगान उस गुफा में रहने वालों पर खर्च किया जा सके।

2. उस गॉव में राजकीय कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी नहीं घुसेंगे अर्थात लगान या जुर्माना वसूल करने का अधिकार उन्हें नहीं था, तथा राजा का नमक पर एकाधिकार भी नहीं रहेगा।

3. राजा चाहेगा तो उस दान पत्र को रद्द कर देगा।

गौतमी पुत्र शतकर्णी के दान पत्र में उन्हीं उन्मुक्तियों का उल्लख है।[4] लेकिन इस अभिलेख में दान खेत में दिया गया है, न कि गॉव। उपरोक्त कथन या उल्लेख का यही अर्थ निकाला जा सकता है कि यह खेत किसी अन्य व्यक्ति का न होकर राजा का ही था। गॉव में स्थामित्व नहीं बदलता था खेत में स्वामित्व बदलता था। इससे स्पष्ट होता है कि राजा अपने निजी खेत को ही ब्रह्मदेय दान के रूप में किसी व्यक्ति को दे सकता था।

नासिक के अभिलेखों में जिन गॉवों के दानों का उल्लेख है उनसे स्पष्ट होता है कि उन्हें सरकार को भूमिकर नहीं देना पड़ता था। परन्तु कुछ अभिलेखों में दानी के दान प्राप्त करने वाले को कुछ अन्य उन्मुक्तियों भी दी है– जैसे नासिक अभिलेख संख्या–तीन में उल्लेख मिलता है कि दान में दिये गये गॉव में कोई सरकारी अधिकारी प्रवेश नहीं करेगा। उनमें से कोई भिक्षुओं को नही छुएगा तथा नमक नहीं खोदेगा, जिला पुलिस उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार उन्हें ये सब उन्मुक्तियॉ मिलती हुई थी[5] इस अभिलेख में यह कहा गया है यह गाँव 'अक्षयनीवीं के रूप में दिया गया था, जिसका अर्थ है कि उस गॉव की आय का भिक्षु सदा उपयोग कर सकते थे। परन्तु वे उसे न तो बेच ही सकते थे और न तो उसे अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित ही कर सकते थे। अतः इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि उन्हें केवल गॉव की जमीन का उपभोग करने का अधिकार था बेचने तथा दूसरे को अपना अधिकार देने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था।

जुन्नर अभिलेखों से पता चलता है कि अनेकों खेतों के स्वामियों ने अपने खेतों को इसलिए दान में दिया कि उस खेत से प्राप्त होने वाली आय को पुण्य कार्यों में लगाई जा सके।[6]

राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। इसलिए राजा दान में दिये हुए गॉव में भी राजा चोरों आदि या जुर्माना कर सकता था। लेकिन दान पाने वाला व्यक्ति या अन्य कोई संस्था जिसको कि गॉव दान में मिला है वह गॉव में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगा सकता था।

जो गॉव अक्षयनींवी के रूप में दान में दिये जाते थे उनको दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति न तो गिरवीं ही रख सकता था तथा न उसे बेंच सकता था। जब कोई व्यक्ति खेत खरीद कर दान में देना चाहता था तो उसे उसके राज्य के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी इस रूप में भी राजा समस्त भूमि का स्वामी होता था। यदि दान प्राप्त करने वाला दान–पत्र की शर्तों को पूरा नहीं करता था, तो राजा उस गॉव या भूमि खण्ड को वापस ले सकता था। जब कोई भूमि खण्ड दान में दिया जाता था तो इसकी सूचना गॉव के मुखिया, ब्राह्मणों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों आदि को दी जाती थी जिससे की उस भूमि अनुदान से किसी व्यक्ति पर अन्याय न हो।

अतः स्पष्ट है राजा लोग ब्राह्मणों को गॉव दान में देते थे परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि वो ब्राह्मण गॉवों के स्वामी हो जाते थे। इसका केवल इतना ही अभिप्राय है कि वे ब्राह्मण उनसे होने वाली आय का उपभोग कर सकते थे। जो भूमिकर और अन्य देय धन किसान पहले राजा को देते थे, अब वे वह उन दानग्रहीता ब्राह्मणों को देने–लगे, जिनको कि ये दान मिले थे।[7] हाँ जिन भूमिखण्डों का स्वामी राजा होता होगा उनके स्वामी ये दान ग्रहीता ब्राह्मण हो जाते होंगे। दान के

दिये गॉवों से दूर के स्थानों पर रहने वाले ब्राह्मणों के लिए इन गॉवों में खेती करना अति दुष्कर कार्य था।[8]

उपरोक्त उल्लेखों के आधार पर स्पष्ट है कि राजा के एक खेत दान में देने और गाँवदान में देने में अन्तर था। दान दिये खेत का स्वामी दान पाने वाला व्यक्ति हो जाता था, जबकि दान दिये गॉव की आय का उपयोग करने का अधिकार मात्र उसे मिलता था।[9]

उपरोक्त उल्लेखों के आधार पर हम कह सकते कि विवेच्य काल में भूमि अनुदान के बारे में जो सूचना मिलती है वह दक्षिणी पश्चिमी भारत से ही मिलती हैं। उत्तर भारत के बारे में ऐसी किसी सूचना का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है। हॉ अन्य क्षेत्रों व्यापार, आवागमन की सुविधा तथा अन्य समस्त क्षेत्रों में उत्तर–भारत तथा दक्षिण भारत में विकास तथा समृद्धि एक साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर थे तो हो सकता है कि भूमि अनुदान की प्रथा का उत्तर–भारत में भी प्रचलन रहा हो, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं मिलता। यह अनुमान का विषय ही है।

कुषाणकालीन भूमिव्यवस्था के बारे में जो सामग्री उपलब्ध है वह न के बराबर है। आक्सस से लेकर बनारस तक कुषाणों का शासन था। लगभग दूसरी शदी के एक अभिलेख से पता चलता है कि यज्ञ में पुरोहिती करने वाले ब्राह्मणों को एक गॉव दान में दिया गया था जो शायद इलाहाबाद के आस–पास था।[10]

कनिष्क और उसके बाद आने–वाले अनेक शासक बौद्धधर्म के उत्साही समर्थक थे, किन्तु यदि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान में दी हो तो उसके कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः कुषाणों ने भू–धारण–अधिकार की 'अक्षयनीवीं' प्रणाली शुरू की, जिसका आशय है भू–राजस्व का स्थायी दान। सम्भवतः इस तरह की दान की गयी भूमि पर कर नहीं लगता था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि अक्षयनीवीं भूधारण अधिकार के अनुसार भूमि अनुदान की शुरूआत ईसा की पहली दो शताब्दियों के दौरान कुषाण काल में ही शुरू हो चुकी थी। जिसका आगे चलकर गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ।

यद्यपि विवेच्य कालीन अभिलेखों में प्रशासनिक अधिकारियों को अनुदान में भूमि दिये जाने का उल्लेख नहीं है फिर भी मनुस्मृति (लगभग 200 ईसा पूर्व–200ई0) में ऐसे राजस्व अधिकारियों को भूमि दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिनके अधीन एक, दस, बीस, सौ अथवा एक हजार गॉव हों। इससे स्पष्ट होता है कि इन अधिकारियों के अधिकार में बहुत बड़ा भू–भाग होता था, जिसके लगान से वे अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार हम कह सकते है कि विवेच्य कालीन भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि अनुदान से सम्बन्धित जानकारी बहुत अल्प है। इसके लिए और अनुसंधान की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. कौटिल्य 2,1
2. नासिक गुफा अभिलेख संख्या 9 प्लेट–3
3. नासिक गुफा अभिलेख संख्या 9 प्लेट–2
4. नासिक गुफा अभिलेख संख्या–3 प्लेट–2
5. 'एपिग्राफिक इण्डिया' 8 प्र0 67
6. लूडर्स लिस्ट 1162, 1163, 1164, 1167 उद्धृत लल्लन जी गोपाल; हिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर इन इण्डिया पृ0 64।
7. एपिग्राफिका इण्डिका; 2 सं0 30, 28, सं0 47, 4 सं0 16, 12, सं0 1, 26 सं0 18, 23, सं0 3, 9 सं0 21, 39, उद्धृत लल्लन जी गोपाल 'हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इण्डिया' प्र0–66
8. एपिग्राफिका इण्डिका सं0 15 सं0 11 वी0 12, 17 सं0 7वीं, 19 सं0 20 21 पृ0 108, 9 सं0 45 कौटिल्य 3, 10, 15 उद्धृत लल्लन जी गोपाल 'हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इण्डिया' पृ0 68।
9. लल्लन जी गोपाल–हस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इण्डिया प्र0 68।
10. एपिग्राफिका इण्डिया; एपिग्रधिका इण्डिका ग्र प्ट पृ0 245–52